भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2007

दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) संशोधन विनियम, 2007
(2007 का संख्यांक 1)

फा.सं. 409–10/2006–एफएन. – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 (2001 का 6) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) संशोधन विनियम, 2007 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे ।

2. दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 (2001 का 6) में, विनियम 2 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"2क. 1 अप्रैल, 2007 को अथवा उसके पश्चात् पोर्ट प्रभार – (1) प्रत्येक अंतरसंयोजन अन्वेषक, अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात्, उक्त तारीख को अथवा उसके पश्चात् उसके द्वारा अपेक्षित पोर्टों की कुल संख्या के लिए अंतरसंयोजन के प्रत्येक प्वाइंट के लिए अंतरसंयोजन प्रदाता से अपनी मांग करेगा ।

(2) प्रत्येक अंतरसंयोजन अन्वेषक अर्ध–वार्षिक आधार पर परिपात प्रक्षेपण (एर्लांग में) के आधार पर उप–विनियम (1) के अधीन मांग करेगा ।

(3) प्रत्येक अंतरसंयोजन प्रदाता अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट पोर्ट प्रभारों के अनुरूप पोर्ट प्रभार प्रभारित करेगा तथा उप–विनियम (1) और (2) के अधीन अंतरसंयोजन अन्वेषक द्वारा उक्त तारीख को अथवा उसके पश्चात् मांगे गए पोर्टों के लिए, यथास्थिति, मांग टिप्पणी अथवा बीजक प्रस्तुत करेगा ।

(4) ऐसे मामले में, जहां अंतरसंयोजन प्रदाता अंतरसंयोजन अन्वेषक द्वारा यथाअनुरोधित तारीख को अथवा ऐसी अवधि के भीतर तथा उप–विनियम (1) और (2) के अधीन उसके द्वारा की गई मांग के अनुरूप सभी पोर्टों को आवंटित और प्रदान नहीं करता है, तो आवंटित किए और प्रदान किए गए पोर्टों के लिए पोर्ट प्रभार ऐसी मांग किए गए पोर्टों की कुल संख्या के आधार पर आकलित किए जाएंगे (जिनमें आवंटित और प्रदान कराए गए पोर्ट तथा साथ ही अंतरसंयोजन प्रदाता द्वारा उसकी मांग के अनुसार आवंटित और प्रदान न कराए गए शेष पोर्टों को हिसाब में लिया जाएगा) तथा इस प्रकार आवंटित और प्रदान कराए गए पोर्टों के लिए प्रभारों को इस प्रकार मांग किए गए कुल पोर्टों के आधार पर परियात प्रक्षेपणों (एर्लांग में) के आधार पर आकलित किया जाएगा तथा पोर्टों के लिए प्रभार इन विनियमों की अनुसूची II में स्लैबों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुरूप आकलित किए जाएंगे ।

(5) ऐसे मामले में, जहां अंतरसंयोजन अन्वेषक उप–विनियम (1) और (2) के अधीन उसके द्वारा की गई मांग के अनुरूप सभी पोर्टों को नहीं लेते हैं, आवंटित तथा प्रदान कराए गए पोर्टों के लिए पोर्ट प्रभार उसके द्वारा इस प्रकार वास्तविक रूप से लिए गए पोर्टों की कुल संख्या के आधार पर आकलित किया जाएगा, तथा, उसकी मांग के अनुसार उसके द्वारा न लिए गए पोर्टों को पोर्ट प्रभारों के आकलन के लिए स्लैब के अवधारण हेतु नजरअंदाज कर दिया जाएगा तथा पोर्टों के

लिए प्रभार इन विनियमों की अनुसूची II में पोर्ट स्लैबों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुरूप उप–विनियम (1) और (2) के अधीन उसके द्वारा लिए गए वास्तविक पोर्टों के आधार पर आकलित किए जाएंगे न कि उसके द्वारा मांग किए गए पोर्टों के आधार पर ।

(6) अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन से पूर्व मांगे गए, आवंटित किए गए और प्रदान कराए गए प्रत्येक पोर्ट के लिए पोर्ट प्रभार इन विनियमों की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट पोर्ट प्रभारों के अनुरूप उक्त तारीख से पूर्व प्रभारित किए जाएंगे तथा अंतरसंयोजन प्रदाता, तदनुसार, मांगे गए, आवंटित किए गए और प्रदान कराए गए ऐसे पोर्टों के लिए, यथास्थिति, मांग टिप्पणी अथवा बीजक प्रस्तुत करेंगे।

(7) अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन से पूर्व मांगे, गए, आवंटित किए गए तथा प्रदान कराए गए प्रत्येक पोर्ट के लिए पोर्ट प्रभार इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट पोर्ट प्रभारों के अनुरूप उक्त तारीख को अथवा उसके बाद प्रभारित किए जाएंगे तथा अंतरसंयोजन प्रदाता तद्‌नुसार उक्तसंदर्भित तारीख से पूर्व उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे पोर्टों के लिए, यथास्थिति, मांग टिप्पणी अथवा बीजक प्रस्तुत करेंगे ।

(8) उप–विनियम (7) के अधीन पोर्ट प्रभारों के आकलन के लिए स्लैब इन विनियमों की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट स्लैबों के संदर्भ में जारी रहेंगे, जिन्हें पोर्ट प्रभारों के अवधारण के लिए अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन से पूर्व हिसाब में लिया गया था ।

(9) इन विनियमों की अनुसूची II में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे मामले में लागू नहीं होगी जहां अंतरसंयोजन प्रदाता तथा अंतरसंयोजन अन्वेषक इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट प्रभारों से कम प्रभारित और भुगतान करने के लिए परस्पर सहमत होते हैं ।"

3. दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 की अनुसूची I के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची II अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"अनुसूची II
{ विनियम 2क देखें }
पोर्ट प्रभार

मद	**पोर्ट प्रभार**	
(1) क्रियान्वयन की तारीख	1 अप्रैल, 2007	
(2) व्याप्ति	"पोर्टों"के लिए दूरसंचार (इंटरनेट के लिए पोर्ट प्रभार को छोड़कर, जिन्हें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट किया गया है)	
(3) सभी स्विचों को शामिल करने वाले "पोर्ट" प्रभार	**"पोर्टों" की संख्या**	**"पोर्ट" प्रभार (रू0 में) प्रतिवर्ष**
1 से 16 पीसीएम		एन* 39,000
17 से 32 पीसीएम		6,24,00+(एन–16)* 22,500
33 से 64 पीसीएम		9,84,00+(एन–32)* 14,500
65 से 128 पीसीएम		14,48,000+(एन–64)* 22,500
129 से 256 पीसीएम		21,84,000+(एन–128)* 10,500

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि :

1. देश में दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के आने से प्रचालकों के बीच क्षेत्र के विकास के लिए अंतरसंयोजन एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है । बहुप्रचालक बहुसेवा परिदृश्य में, अंतरसंयोजन की स्थापना एक नेटवर्क के उपभोक्ता को अन्य नेटवर्क के उपभोक्ता से संप्रेषण स्थापित करने में सहायता मिलती है । दो नेटवर्कों के बीच अंतरसंयोजन की स्थापना के लिए पोर्ट एक आवश्यक भाग है ।

2. 28 मई, 1999 को, प्राधिकरण ने दूरसंचार अंतरसंयोजन (प्रभार तथा राजस्व साझेदारी) विनियम, 199 अधिसूचित किए, जिनमें पोर्ट प्रभारों सहित सभी दूरसंचार सेवाओं हेतु अंतरसंयोजन प्रभारों और राजस्व साझेदारी के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच व्यवस्था विनिर्दिष्ट की गई थी । दूरसंचार अंतरसंयोजन (प्रभार तथा राजस्व साझेदारी) विनियम, 1999 की अनुसूची III प्रति पोर्ट औसत वार्षिक प्रभारों को विनिर्दिष्ट करती है । ये पोर्ट प्रभार 8 पीसीएम (ई–1) की इकाई के लिए लागत आधारित प्रभारों के आधार पर निकाले गए थे, जो 8 ई–1 से प्रारंभ हुए और 256 ई–1 तक गए ।

3. दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 के प्रारंभ होने से पूर्व दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेशकर्ता प्राधिकरण को यह अभ्यावेदन दे रहे थे कि कुछ प्रचालक अतीत में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कीमतों पर पोर्टों की आपूर्ति करने के लिए इच्छुक नहीं हैं । बीएसएनएल द्वारा यह भी अभ्यावेदन किया गया कि दूरसंचार अंतरसंयोजन (प्रभार तथा राजस्व साझेदारी) विनियम, 1999 में विनिर्दिष्ट प्रभारों में इस दृष्टि से विसंगति है कि इन प्रभारों ने अंतरसंयोजन अन्वेषक को पोर्टों के लिए वास्तविक मांग से अधिक मांग रखने के लिए प्रोत्साहित किया है । अतः इससे यह स्पष्ट हुआ कि पोर्ट प्रभारों का पुनर्मूल्यांकन किए जाने और विद्यमान विसंगति को दूर किए जाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक पोर्टों के प्रावधान के लिए कोई आर्थिक निरूत्साहन न हो । अतः प्राधिकरण ने पोर्टों के प्रभारण से संबंधित समीक्षा कवायद करने का निर्णय लिया ।

4. प्राधिकरण ने, उद्योग के साथ चर्चा के पश्चात्, पोर्ट प्रभारों पर 28 दिसम्बर, 2001 को संशोधित विनियम दूरसंचार अंर्तसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) अधिसूचित किए । उक्त विनियम अन्य बातों के साथ–साथ अंतरसंयोजन अन्वेषक द्वारा अंतरसंयोजन प्रदाता को संदेय पोर्ट प्रभार विनिर्दिष्ट करता है । उक्त विनियम में, पोर्ट प्रभारों के लिए स्लैबों की संख्या को तीन से बढ़ाकर पांच किया गया ।

5. उक्त विनियम में पोर्ट प्रभारों को विनिर्दिष्ट करने के लिए, प्राधिकरण ने अंतरसंयोजन प्रदाता द्वारा पोर्टों का प्रावधान करने के लिए प्रत्यक्षतः अभिरोप्य अभिवर्धित अथवा अतिरिक्त लागत पर ही विचार किया । प्रत्यक्षतः अभिरोप्य अभिवर्धित लागत (डीएआईसी) को न केवल पोर्ट टर्मिनलों के लिए लिया गया अपितु सभी अन्य संगत अवयवों जैसे सीसीएस 7 सिगनलिंग उपस्कर, प्रोसेसरों तथा स्वीचिंग मेट्रिक्स आदि के लिए भी लिया गया । ऐसी सभी सहयोजित लागतों की संगणना विभिन्न पोर्ट स्लैबों में उपरिव्यय के रूप में की गई है । ये सामान्य लागतें ऐसे कार्य के रूप में पाई गई हैं, जो पोर्ट के आकारों के साथ बदलती रहती है । नेटवर्क में स्विचिंग प्रणालियों के लिए प्रचालकों द्वारा आपूर्ति किए गए लागत संबंधी आंकड़ों के आधार पर, विभिन्न विनिर्देशनों के लिए लागत का आकलन किया गया है । इन लागतों में, ढुलाई, भण्डारण और संस्थापना लागतों का प्रतिनिधित्व करने वाला 10 प्रतिशत की दर से उपरिव्यय भी जोड़ा गया है । वार्षिक आवर्ती व्यय (एआरई) निकालने के लिए, इस प्रकार आकलित पूंजीगत लागत पर 22 प्रतिशत की दर लागू की गई है । "पोर्ट" प्रभार, जो वार्षिक किराए की प्रकृति के थे, को इस प्रकार संगणित एआरई के समरूप लाया गया था ।

6. नेटवर्क प्रचालकों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर विचार किया गया कि एक अंतरसंयोजन "पोर्ट" के प्रावधान और फलस्वरूपी ट्रैफिक प्रवाह के कारण नेटवर्क में ट्रैफिक के सुचारू प्रवाह के लिए अन्य नोड्स में तथा साथ ही अंतरसंयोजन लिंकों में भी क्षमता में वृद्धि की जानी अपेक्षित थी ।

अतः यह निर्णय लिया गया था कि नेटवर्क संसाधनों के अनुप्रवाह के सुदृढ़ीकरण की लागत की वसूली कॉल वहन में शामिल नेटवर्क अवयवों के प्रयोग प्रभारों से की जाए । इसमें निहित सिद्धांत यह है कि सभी लागतों की वसूली की जाती है परंतु किसी भी लागत अवयव को दो बार नहीं जोड़ा जाना चाहिए ।

7. "दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 (2001 का 6)" में यह उपबंध है कि प्राधिकरण किसी भी समय किसी प्रभावित पक्ष द्वारा उल्लेख करने पर तथा सद्भावी और पर्याप्त कारणों से पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा कर सकता है और उनमें उपांतरण कर सकता है । इसके अलावा, अंतरसंयोजन अन्वेषकों की काफी समय से लंबित बुनियादी मांग है कि वर्तमान स्विच/एक्सचेंज लागत के अनुरूप किए जाने के लिए पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ।

8. अतः पोर्ट प्रभारों पर पुनः विचार करने तथा उनकी पुनरीक्षा के लिए प्राधिकरण ने आरंभ में सेवा प्रदाताओं से अंतरसंयोजन हेतु पोर्ट प्रदान करने के लिए डिजिटल ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज (डीटीएएक्स)/टेंडम के विस्तार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न अवयवों के लागत संबंधी विवरणों की मांग की । भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), जोकि 2647 कम दूरी प्रभार क्षेत्रों (एसडीसीए), 322 स्थानों पर लेवल–II ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों (टीएएक्स) और 21 स्थानों पर लेवल–I ट्रंक आटोमेटिव एक्सचेंजों (टीएएक्स) में फैले व्यापक नेटवर्क वाला उपाश्रयी प्रचालक है और जो पोर्टों का मुख्य प्रदाता भी है, सहित अधिकांश सेवा प्रदाताओं ने विभिन्न नेटवर्क अवयवों की लागत के विवरण उपलब्ध कराए । इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा के लिए ट्राई द्वारा बीएसएनएल, एमटीएनएल, सीओएआई और एयूएसपीआई के साथ परामर्श किया गया तथा उक्त प्रयोजनार्थ इस मामले पर उनके साथ आयोजित अनेक बैठकों में चर्चा भी की गई ।

9. इस अधिसूचना द्वारा बनाए गए पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा के उद्देश्य से, सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क अवयवों की लागत और परियात प्रवृत्ति का व्यापक विश्लेषण प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । अंतरसंयोजन अन्वेषकों और अंतरसंयोजन प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर, प्राधिकरण ने पोर्ट प्रभारों के अवधारण के लिए आकलन किए तथा कतिपय मामलों में अंतरसंयोजन अन्वेषक और अंतरसंयोजन प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में कुछ अंतराल और यहां तक कि विसंगतियां भी पाईं । प्राधिकरण ने एक्सचेंज/स्विच के विस्तार के लिए नेटवर्क अवयवों और उनकी लागतों को लेते समय पर्याप्त सावधानी के साथ युक्तिसंगत जांच की है । पोर्ट प्रभारों के परिकलन के लिए, प्राधिकरण ने 2001 के उक्त विनियम में यथाप्रयुक्त समान दृष्टिकोण को अपनाया है, जो प्राधिकरण, द्वारा हाल ही के विनियमों और टैरिफ आदेशों में अपनाई गई लागत–निर्धारण पद्धति के अनुरूप है ।

10. पोर्ट प्रभारों के परिकलन के लिए प्रयुक्त नेटवर्क अवयवों की सूची इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में तालिका–1 में दी गई है । तालिका–1 में सूचीबद्ध नेटवर्क अवयवों की आवश्यकता सामान्यतः ओसीबी एक्सचेंजों के विस्तार के लिए पड़ती है, जिनका उपयोग अधिकांशतः उपाश्रयी प्रचालकों द्वारा अन्य सेवा प्रदाता को अंतरसंयोजन प्रदान करने के लिए किया जाता है । 16 ई–1, 32 ई–1, 64 ई–1, 128 ई–1 और 256 ई–1 तक एक्सचेंजों के विस्तार के लिए पृथक लागत परिकलित की गई है और, तद्नुसार, इन विनियमों में विभिन्न स्लैब विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

11. पोर्ट प्रभारों के आकलन के लिए वर्तमान पुनरीक्षा में, मूल्यह्रास की सरल रेखीय पद्धति (स्टेट लाइन मेथड) के आधार पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास प्रदान करने के पश्चात् निवेशित पूंजी (केवल नेट ब्लॉक) पर प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत की दर से औचित्यपूर्ण प्रतिफलों (पूंजी की कर–पूर्व वेटेड औसत लागत) पर विचार किया गया है । तद्नुसार, कैपेक्स वसूली पर 10 प्रतिशत की दर से उपरिव्यय जोड़ा गया है । प्राधिकरण ने पोर्ट प्रभारों की वर्तमान पुनरीक्षा के लिए वार्षिक आवर्ती व्यय (एआरई) पद्धति का प्रयोग नहीं किया है ।

12. प्राधिकरण ने पणधारियों और विशेषकर प्रमुख अंतरसंयोजन प्रदाता जैसे बीएसएनएल, से प्राप्त जानकारी पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने के पश्चात् विस्तृत व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ पोर्ट प्रभारों के बारे में प्रस्तावित संशोधनकारी विनियम का मसौदा जारी किया । पणधारियों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित संशोधनकारी विनियमों के मसौदे को 12 जनवरी, 2007 को जारी किया गया । पणधारियों की टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी, 2007 थी ।

पणधारियों की मुख्य टिप्पणियों/उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांचः

13. कुछ पणधारियों ने टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की समय–सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया । प्राधिकरण ने समय–सीमा बढ़ाए जाने के अनुरोध पर विचार किया और यह पाया कि संबंधित मुद्दा केवल पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा करना है, जिसके लिए ट्राई ने पणधारियों अर्थात् बीएसएनएल, एमटीएनएल तथा सीओएआई और एयूएसपीआई के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए गए अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ पहले भी बैठकें आयोजित की हैं । इसके अतिरिक्त, वर्तमान पुनरीक्षा में पोर्ट प्रभारों के परिकलन अंतरसंयोजन प्रदाताओं और अंतरसंयोजन अन्वेषकों, दोनों ही के द्वारा प्रस्तुत किए गए लागत संबंधी विवरणों पर आधारित है । पोर्ट प्रभारों पर मसौदा संशोधन विनियम पणधारियों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए विस्तृत व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ जारी किया गया था तथा टिप्पणियां प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के रूप में 22 जनवरी, 2007 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया । अतः प्राधिकरण ने टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा न बढ़ाए जाने का निर्णय लिया और इसे तद्नुसार सूचित भी किया । तथापि, बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशन लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, एमटीएनएल, बीएसएनएल से प्राप्त टिप्पणियों और सीओएआई तथा एयूएसपीआई से प्राप्त संयुक्त उत्तर पर पूरी तरह से विचार किया गया और उनका समाधान किया गया ।

14. प्राधिकरण ने विभिन्न टिप्पणियों और जानकारियों पर विचार किया है तथा मामले का विस्तार से विश्लेषण किया है । स्पष्टता के लिए, पणधारियों द्वारा उठाई गईं टिप्पणियों/मुद्दों को नीचे तिरछी टाइप में दिया जा रहा है और तत्पश्चात् प्राधिकरण का विश्लेषण/विचार दिया गया है ।

मुद्दा 1 : विनियमों के लागू होने की तारीखः

संशोधित पोर्ट प्रभार विनियम इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी बनाए जाने चाहिए ।

15. नए पोर्ट प्रभारों के लागू होने की तारीख के बारे में अंतरसंयोजन अन्वेषकों/पणधारियों की मांग की जांच की गई हैं तथा दूरसंचार (पोर्ट प्रभार) संशोधन विनियम, 2007 की अनुसूची–II में यथाविनिर्दिष्ट पोर्ट प्रभारों को निम्नलिखित कारणों से 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष और उसके पश्चात् के संदर्भ में लागू किया गया है, अर्थात् :–

(क) ऐसा सामन्जस्य और कार्यान्वयन की दृष्टि से आसान है कि भुगतान, जो वार्षिक आधार पर किए जाते हैं, वित्तीय वर्ष के अनुसार ही होने चाहिए ।

(ख) इसके अलावा, अंतरसंयोजन अन्वेषक के लिए यह अपेक्षित है कि वह छह माह के आधार पर ट्रैफिक प्रेक्षपण पर आधारित पर मांग प्रस्तुत करने से पहले अपने ट्रैफिक का समुचित रूप से आकलन कर ले । अतः उनकी मांग का निराकरण करने के लिए अंतरसंयोजन अन्वेषक को पर्याप्त समय दिए जाने की आवश्यकता है ।

(ग) चूंकि पोर्ट प्रभार वार्षिक आधार पर विनिर्दिष्ट किए जाते हैं और संशोधित पोर्ट प्रभार विद्यमान कार्यशील पोर्टों पर लागू होते हैं ।

अतः प्राधिकरण की यह राय है कि लागू होने की तारीख इसकी अधिसूचना की तारीख की बजाय 1 अप्रैल, 2007 होनी चाहिए ।

मुद्दा 2 : नए विनियमों को विद्यमान 2001 के विनियमों का स्थान लेना चाहिए या उसमें संशोधन करना चाहिए :

यह अधिक उपयुक्त होगा कि प्रस्तावित विनियम 2001 के विद्यमान विनियम में संशोधन करने के बजाय विद्यमान विनियम 2001 को प्रतिस्थापित करे । इससे कनेक्टिविटी का विस्तार करने में तथा पहले ही पीओआई प्राप्त कर चुके प्रचालकों पर प्रभाव पड़ेगा ।

16. अंतरसंयोजन अन्वेषकों की काफी समय से लंबित बुनियादी मांग थी कि नेटवर्क अवयवों की लागतों में पिछले समय में कमी आई है और इसके साथ ही पोर्ट प्रभारों की गणना के लिए लागत–निर्धारण की पद्धति को प्राधिकरण द्वारा अनेक अन्य विनियमों/आदेशों में प्रयोग की गई लागत–निर्धारण पद्धति के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है । प्राधिकरण ने इन मांगों को नोट किया और यह पाया कि मूल मांग को दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 (2001 का 6) में संशोधन करके पूरा किया जा सकता है ।

मुद्दा 3 : पोर्ट प्रभारों का परिकलन :

(क) प्राधिकरण ने घरेलू लीज्ड लाइन में तथा लंबी दूरी के टैरिफ में 2005 में काफी कमी किए जाने की अनुमति दी है । उसके बाद से, उपस्कर की लागत में और भी कमी आई है । अतः पोर्ट प्रभारों में 80 प्रतिशत कटौती के लिए पर्याप्त औचित्य है ।

(ख) बीएसएनएल उपस्करों की खरीद के लिए इकॉनामी ऑफ स्केल का लाभ प्राप्त करने में समर्थ होगा और ये लाभ घटे हुए पोर्ट प्रभारों में प्रतिबिंबित होने चाहिए ।

(ग) लागत अवयव के केवल उस भाग पर विचार किया जाए, जो बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा अतिरिक्त प्रावधान से जुड़ा हुआ है । ई–1 के विभिन्न स्लैबों के लिए केंद्रीय उपस्कर लागतों का कितना अनुपात अनुभाजित किया गया है, उसे क्षमता सहित तालिकाबद्ध किया जाना चाहिए ।

(घ) प्राधिकरण द्वारा घरेलू लीज्ड लाइन टैरिफों में और वाहक प्रभारों के लिए आईयूसी में कमी की गई है ।

(ङ) प्रथम मूल्य स्लैब 31200/– से अधिक नहीं होना चाहिए और अन्य स्लैबों के लिए तद्नुरूपी समयोजन अपेक्षित है ।

(च) पारदर्शिता के हित में, यह प्रस्ताव किया जाता है कि अनुसूची–II में पोर्ट प्रभारों का निर्णय लेने के लिए ट्राई द्वारा किए गए विस्तृत परिकलन को वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाए जिससे प्रचालक इसकी जांच कर सके और प्रतिक्रिया दे सके ।

17. प्राधिकरण ने अंतरसंयोजन अन्वेषकों और अंतरसंयोजन प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर सभी गणनाएं की हैं । प्राधिकरण ने कतिपय मामलों में अंतरसंयोजन अन्वेषक/प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों में कुछ अंतराल और विसंगतियां भी पाईं । प्राधिकरण ने एक्सचेंज/स्विच के विस्तार के लिए कुछ पणधारियों द्वारा प्रस्तुत नेटवर्क अवयवों और लागतों को लेते समय पर्याप्त सावधानी के साथ बारीकी से औचित्यपूर्ण जांच की । इस व्याख्यात्मक ज्ञापन की तालिका–1 में पोर्ट प्रभारों के अवधारण के लिए विचार में लिए गए नेटवर्क अवयवों का विवरण दिया गया है । यह भी नोट किया गया कि नेटवर्क अवयवों के लागत संबंधी विवरण प्रस्तुत करते समय कुछ पणधारियों ने इसे "गोपनीय" चिन्हित किया था । इसलिए तालिका–1 में सूचीबद्ध नेटवर्क अवयवों के सामने लागत का उल्लेख नहीं किया गया है ।

18. वर्तमान पुनरीक्षा में, प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं (अंतरसंयोजन अन्वेषकों और अंतरसंयोजन प्रदाताओं) द्वारा उपलब्ध कराए गए नेटवर्क अवयवों की लागत को लिया है और इसके साथ ही लागत निर्धारण की पद्धति को प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विनियमों/टैरिफ आदेशों में अपनाई गई विद्यमान प्रथाओं के अनुरूप बनाया गया है और यह दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 (2001 का 6) के संशोधन द्वारा पोर्ट प्रभारों को विनिर्दिष्ट करती हैं ।

19. वर्तमान पुनरीक्षा में, प्राधिकरण ने अंतरसंयोजन प्रदाता द्वारा पोर्टों के प्रावधान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी अभिवर्धित या अतिरिक्त लागत पर ही विचार किया है । प्रत्यक्षतः आरोप्य अभिवर्धित लागत

(डीएआईसी) को न केवल पोर्ट टर्मिनलों हेतु लिया गया है, अपितु सभी अन्य संगत अवयवों जैसे सीसीएस 7 सिगनलिंग उपस्कर, प्रोसेसरों, स्विचिंग मेट्रिक्स आदि के लिए भी लिया गया है । ऐसी सभी सहयोजित लागतों को विभिन्न पोर्ट स्लैबों में उपरिव्यय के रूप में संगणित किया गया है । यह सामान्य लागतें ऐसे कार्य के रूप में पाई गई हैं, जो पोर्ट के आकारों में परिवर्तन के साथ–साथ परिवर्तित होती हैं ।

20. सामान्य नियंत्रण और स्विचिंग मेट्रिक्स की लागत पर पोर्ट प्रभारों के लिए 5 स्लैब विनिर्दिष्ट किए गए हैं तथा जिन्हें 5 चरणों में परिवर्तित होता हुआ पाया गया है ।

मुद्दा 4 : मूल्य–निर्धारण पद्धति, मूल्यह्रास, अभिवर्धित कैपेक्स पर प्रतिफल की दरः

(क) प्रस्तावित मसौदा विनियमों में अनुमति प्रदान किए गए प्रतिफल 14 प्रतिशत से कहीं अधिक है । इन 10 वर्षों में सेवा प्रदाता 16 प्रतिशत की दर से प्रतिफल प्राप्त करेंगे ।

(ख) वार्षिक पोर्ट किराए को 22 प्रतिशत एआरई तक समीकृत करना औचित्यपूर्ण नहीं है, विशेष रूप से नए नोडों/टैंडमों में, जहां स्विचों की आवश्यकता 10 वर्ष का जीवनकाल पूरा करने से पूर्व हो सकती है (जैसे एआरई के आकलन के लिए विनियामक द्वारा सरल रेखीय पद्धति (स्ट्रेट लाइन मैथड) के साथ 10 प्रतिशत का मूल्यह्रास परिकल्पित किया गया है) । वस्तुतः, नए नोडों के लिए, आईपी स्विचों के स्थानांतरण की योजनाओं तथा निकट भविष्य में वेंडरों द्वारा पारंपरिक स्विचों के गैर–समर्थन के अवसरों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यह्रास 20 प्रतिशत होना चाहिए ।

(ग) प्राधिकरण ने परिवर्धित कैपेक्स वैसे ही लिया है, जैसाकि पूर्ववर्ती विनियमों में लिया था । ऐसा मामला हमेशा ही नहीं बन सकता है क्योंकि कभी–कभी नोडों/टैंडमों से ई–1 प्रदान करने के लिए ऐसे नए टैंडमों की आवश्यकता होगी, जो पूरी तरह विकसित हैं (45के) ।

21. पोर्ट प्रभारों के आकलन के लिए, मूल्यह्रास की सरल रेखीय पद्धति (स्ट्रेट लाइन मैथड) के आधार पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास प्रदान करने के पश्चात् निवेशित पूंजी (केवल नेट ब्लॉक) पर प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत की दर औचित्यपूर्ण प्रतिफलों (पूंजी की कर–पूर्व वेटेड लागत) पर विचार किया गया है । प्राधिकरण ने पोर्ट प्रभारों की वर्तमान समीक्षा में वार्षिक आवर्ती व्यय (एआईई) पद्धति का प्रयोग नहीं किया है । अतः पोर्ट प्रभारों के आकलन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की गई पद्धति को ध्यान में रखते हुए पणधारियों का यह मत सही नहीं है कि अंतरसंयोजन प्रदाता 16 प्रतिशत की दर से प्रतिफल प्राप्त करेंगे ।

22. अंतरसंयोजन, अन्वेषक द्वारा संदेय पोर्ट प्रभार एक स्लैब में पड़ने वाले पोर्टों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं । ऐसा पहला स्लैब 1 से 16 पीसीएम से प्रारंभ होता है तथा ऐसा अंतिम स्लैब 128 से 256 पीसीएम पर समाप्त होता है । इसके अलावा, यदि अंतरसंयोजन प्रदाता द्वारा उच्च क्षमता के लिए स्विचों को स्थापित किया जाता है, तो यह आशा की जाती है कि कुल क्षमता में से लगभग 50 प्रतिशत पोर्टों का प्रयोग अंतरसंयोजन प्रदाता द्वारा इंट्रा–नेटवर्क लिंकों हेतु अपने स्वयं की नेटवर्क संयोज्यता के लिए किया जाएगा तथा शेष पोर्टों का प्रयोग इंटर–नेटवर्क लिंकों हेतु अंतरसंयोजित अन्वेषकों के पोर्टों का प्रावधान करने के लिए किया जाएगा । इकॉनामी ऑफ स्केल उच्च क्षमता के स्विचों के कैपेक्स को भी नीचे ले आएगी । अतः प्राधिकरण का दृष्टिकोण है कि विभिन्न स्लैबों के लिए पोर्ट प्रभारों के आकलनों हेतु अभिवर्धित कैपेक्स युक्तिसंगत है, जैसाकि इन विनियमों की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

मुद्दा 5 : बीएसएनएल की सेल्यूलर सेवाओं के लिए पोर्ट प्रभारों की प्रयोज्यनीयताः

सैल–वन पीओआई के लिए पोर्ट उपयोग 100 प्रतिशत है अतः मांग को ध्यान में न रखते हुए सेल–वन पीओआई के लिए पोर्ट प्रभारों को 256 ई–1 की औसत दर से प्रभारित किया जाना चाहिए ।

23. प्राधिकरण का मत यह हे कि एक–समान आधार पर पोर्ट प्रभारों की प्रयोज्यता क्रियान्वयन को सुकर तथा पोर्ट प्रभारों के आमेलन को आसान बना देगी । जहां तक 256 ई–1 की औसत दर पर प्रभारण का संबंध है, अंतरसंयोजन अन्वेषक उनके परियात प्रक्षेपण के आधार पर मांग को उचित रूप से रखने के माध्यम से सदैव ही लाभ उठा सकते हैं क्योंकि इन विनियमों की अनुसूची–II में पोर्ट प्रभारों के लिए 129 से 256 पीसीएम का स्लैब उपलब्ध है ।

मुद्दा 6 : विद्यमान पोर्टों के लिए कैपेक्स की वसूली तथा सनसैट क्लॉज :

(क) तीन वर्ष से अधिक कार्य कर रही पीओआई की लागत अंतरसंयोजन प्रदाताओं द्वारा वसूल कर ली गई है, अतः उसके लिए भुगतान जारी रखने का कोई तर्काधार नहीं है ।

(ख) ट्राई के स्वयं के आकलनों के अनुसार 7 वर्ष पुराने पोर्टों की लागत पहले ही वसूल कर ली गई है तथा इस प्रकार कम से कम ऐसे पोर्टों के लिए आगे कोई भुगतान लागू नहीं होना चाहिए, अतः सनसैट क्लॉज तत्काल इन पोर्टों पर लागू होना चाहिए ।

(ग) पोर्ट प्रभारेां के भुगतान के लिए सनसैट क्लॉज होना चाहिए ।

24. प्राधिकरण ने विद्यमान पोर्टों के लिए लागत की वसूली के बारे में पणधारियों के दृष्टिकोण पर भी विचार किया है और उसका मत है कि अंतरसंयोजन प्रदाताओं को सामान्यतया अंतरसंयोजन को जारी रखने के लिए आवश्यक विद्यमान उपस्कर को समय–समय पर बदलने की आवश्यकता होती है, अतः सेवा प्रदाताओं द्वारा रखा गया यह प्रस्ताव वर्तमान परिदृश्य में समर्थन योग्य नहीं है कि विद्यमान पोर्टों की लागत 7 वर्षों के भीतर पूरी तरह वसूल कर ली गई है तथा पोर्ट प्रभारों के लिए सनसैट क्लॉज के साथ आगे कोई भी भुगतान लागू नहीं किया जाना चाहिए ।

मुद्दा 7 : विद्यमान पोर्टों को आपस में मिलाना :

1 अप्रैल, 2007 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे सभी ई–1 को अनुसूची–II के अनुसार अप्रैल, 2007 के पहले दिन के पश्चात् देय प्रभारों के लिए स्लैब दरों के आकलन हेतु आपस में मिला दिया जाना चाहिए ।

25. दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम 2001 की अनुसूची–I में उल्लिखित पूर्व स्लैब इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नियत किए गए थे कि अंतरसंयोजन प्रदाता को बाद में समय–समय पर अपनी एक्सचेंजों का विस्तार/उन्नयन करना होगा । ऐसे विस्तार तथा उन्नयन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरसंयोजन प्रदाता ने अंतरसंयोजन अन्वेषक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत की गई मांग के अनुसार उनकी एक्सचेंज के उन्नयन के लिए निवेश किया होगा । अतः प्राधिकरण का विचार है कि इस अवस्था में सभी ऐसे विद्यमान पोर्टों को आपस में मिलाना अंतरसंयोजन प्रदाता के लिए वित्तीय आधारों पर युक्तिसंगत नहीं होगा ।

मुद्दा 8 : पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा :

उपस्कर की लागत में किसी कटौती को हिसाब में लेने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार पोर्ट प्रभारों की नियमित समीक्षा ।

26. जहां तक वर्ष में कम से कम एक बार पोर्ट प्रभारों की नियमित समीक्षा का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि पोर्ट प्रभारों सहित दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्राधिकरण द्वारा पुनः विचार किया जाता है तथा दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम 2001 में पहले ही एक उपबंध है कि प्राधिकरण पोर्ट प्रभारों की समय–समय पर समीक्षा करेगा और उन्हें परिवर्धित कर सकेगा ।

मुद्दा 9 : परिसमापन प्रभार के अवधारण में पोर्टों की लागत का सम्मिलन :

पोर्टों की लागत (सभी संबद्ध उपस्करों सहित) को पृथक पोर्ट प्रभार विनिर्धारित करने के स्थान पर परिसमापन प्रभारों में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

27. परिसमापन प्रभार में पोर्ट प्रभारों के सम्मिलन के परिणामस्वरूप ऐसी कॉलों के लिए परिसमापन प्रभारों पर विभेद पैदा हो जाएगा, जो अंतरसंयोजन प्रदाता नेटवर्क में समाप्त हो रही हैं, अतः इसके सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं, दोनों ही के लिए टैरिफ संरचना जटिल हो जाएगी । पोर्ट प्रभारों का आकलन करने के लिए केवल अभिवर्धित लागतों को ही ध्यान में रखा गया है । इस संबंध में दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 को अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम में प्राधिकरण की टिप्पणी को नीचे उद्धृत किया जा रहा है ।

"63. .... प्राधिकरण स्मरण करता है कि पोर्ट प्रभारों के आकलन के दौरान, पोर्ट के प्रावधान के लिए केवल अभिवर्धित कैपेक्स पर ही विचार किया गया था, हालांकि पोर्टों का प्रावधान करने के लिए न केवल स्विच क्षमताओं को अपितु इन पोर्टों के माध्यम से नेटवर्क में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त ट्रैफिक का संचालन करने के लिए नेटवर्क के अन्य अनुप्रवाह भागों का संवर्धन किए जाने की आवश्यकता है । अतिरिक्त ट्रैफिक का संचालन करने के लिए अनुप्रवाह नेटवर्क अवयवों के संवर्धन हेतु अपेक्षित लागतों को आईयूसी के माध्यम से वसूल करने के लिए छोड़ दिया गया ।"

मुद्दा 10 : औसत पोर्ट प्रभार

प्रति ई–1 औसत प्रभारों को विभिन्न स्लैबों में दर्शाया जाना चाहिए ।

28. यदि सुझाए गए अनुसार प्रति ई–1 औसत प्रभार विनिर्दिष्ट किए जाने हैं, तो 17 ई–1 के लिए पोर्ट प्रभार 16 ई–1 के लिए पोर्ट प्रभार से कम होंगे, जो वहीं विसंगति पैदा कर देगा जैसी कि "दूरसंचार अंतरसंयोजन (प्रभार और राजस्व साझेदारी) विनियम, 1999" में थी । प्राधिकरण स्मरण करता है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान, नए प्रवेशकर्ताओं ने प्राधिकरण को अभ्यावेदन किए कि पूर्व में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मूल्यों पर पोर्टों की आपूर्ति करने के लिए उपाश्रयी अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं । बीएसएनएल द्वारा यह भी अभ्यावेदन किया गया कि विद्यमान प्रभारों में इस संबंध में विसंगति है कि ये प्रभार अंतरसंयोजन अन्वेषकों को पोर्टों के लिए वास्तविक मांग अथवा वास्तविक आवश्यकता से अधिक रखने को प्रोत्साहित करते थे क्योंकि 8 पोर्टों के लिए वार्षिक प्रभार 33 पोर्टों के लिए प्रभारों के समान ही थे । अतः इसने यह प्रदर्शित किया कि पोर्ट प्रभारों का पुनःमूल्यांकन किए जाने तथा विद्यमान विसंगति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है ताकि अधिक पोर्टों के प्रावधान के लिए कोई आर्थिक हतोत्साहन न रह जाए । अतः प्राधिकरण ने 2001 में पोर्ट प्रभारों की समीक्षा की और दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 (2001 का 6) बनाया । अतः प्राधिकरण का मत है कि प्रस्तावित अभिवर्धित स्लैब प्रणाली युक्तिसंगत है ।

मुद्दा 11 : परियात पैटर्न तथा अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पोर्ट प्रभारों की साझेदारी

(क) पीओआई का प्रयोग आवक एवं जावक, दोनों ही प्रकार के परियात के लिए किया जाता है तथा इस कारण पोर्ट के लिए प्रभार संबंधित पक्षों द्वारा उपयोग के आधार पर क्यों नहीं वसूले जाते हैं ।

(ख) पोर्टों का उपयोग दोनों ही अंतरसंयोजन पक्षों द्वारा किया जाता है तथा अंतरसंयोजन एक अनिवार्य लाइसेंसी आवश्यकता है, तब पोर्ट को गैर–प्रभारण सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं उपलब्ध कराया जाना चाहिए ?

(ग) बीएसएनएल/एमटीएनएल की प्रत्येक एक्सचेंज में सभी ई–1 को प्रभारयोग्य स्लैब को अवधारण करने के लिए किसी अन्वेषक लाइसेंस के अंतर्गत सभी सेवाओं के लिए परस्पर मिला दिया जाना चाहिए ।

(घ) अंतरसंयोजन के 10 वर्ष से अधिक समय के बाद भी, पाइवेट प्रचालकों को उपाश्रयी बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा अभी भी अंतरसंयोजन अन्वेषक के रूप में माना जा रहा है ।

(ङ) जबकि प्राइवेट प्रचालक आगामी एक वर्ष की अवधि तक सब्सक्राइबरों तथा परियात में संभावित वृद्धि का आकलन तथा पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उनके लिए बीएसएनएल नेटवर्क से उनके नेटवर्क पर बढ़े हुए ट्रैफिक का संचालन करने के लिए अंतरसंयोजन सर्किटों/पोर्टों की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होगा । अतः प्रत्येक अंतरसंयोजन पक्ष को आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिए इसके बढ़े हुए जावक परियात का संचालन करने के लिए अपेक्षित पोर्टों के लिए द्वितीय पक्ष के सामने मांग रखनी चाहिए ।

(च) वार्षिक आधार पर परियात प्रक्षेपण के आधार पर मांग वर्तमान परिदृश्य में विरोधात्मक है, जहां मांग को दृढ़ तभी समझा जाता है, जब अन्वेषक भुगतान कर देता है । अन्वेषक उच्च परियात प्रक्षेपण देकर और इस प्रकार वह अधिक संख्या में पोर्टों के लिए मांग प्रक्षिप्त करके इस खंड का लाभ उठा सकता है, तथा इसके बदले में वर्ष के दौरान निम्न पोर्ट प्रभारों का लाभ उठाते हुए वह कम संख्या में पोर्टों के लिए दृढ़ मांग दे सकता है । यह अंतरसंयोजन प्रदाता के हित के विरूद्ध होगा तथा इससे माल–सूची में अत्याधिक वृद्धि होगी ।

(छ) यदि एक श्रेणी (लाइसेंस/सेवा) के अंतर्गत प्रत्यर्पित पोर्ट अन्य सेवा/लाइसेंस के अधीन समान कंपनी द्वारा उपयोग के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो कोई प्रत्यर्पण प्रभार लागू नहीं होना चाहिए ।

(ज) तीन वर्षों के बाद किसी प्रकार का प्रत्यर्पण प्रभार नहीं होना चाहिए ।

29. उपर्युक्त संशोधन अर्थात्, दूरसंचार (पोर्ट प्रभार) संशोधन विनियम 2007 केवल इस सीमा तक प्रधान विनियम अर्थात् दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 (2001 का 6) में संशोधन करता है कि पोर्ट प्रभार नेटवर्क अवयव की वर्तमान लागत पर होना चाहिए तथा यह प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विनियमों/टैरिफ आदेशों में प्रयुक्त वर्तमान लागत–निर्धारण पद्धति के समरूप होना चाहिए । ऐसे अनेक देश हैं जैसे, यूनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, आयरलैंड, पाकिस्तान, बहरीन, ओमान और मलेशिया आदि, जहां अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभारों के अतिरिक्त पृथक प्रभारों की अवधारणों प्रचलन में है । अतः प्राधिकरण का मत है कि पोर्ट प्रभारों की प्रणाली को वर्तमान में जारी रखा जाना चाहिए ।

मुद्दा 12 : विभिन्न परिदृश्यों के लिए लागू पोर्ट प्रभारों के संदर्भ में स्पष्टीकरण :

पणधारियों ने विभिन्न समयों में अन्वेषक की मांग तथा प्रदाता द्वारा प्रावधान किए जाने से पैदा होने वाले विभिन्न परिदृश्य के लिए अंतरसंयोजन अन्वेषक द्वारा किसी अंतरसंयोजन प्रदाता को भुगतान किए जाने वाले प्रभारों की व्याख्या करने का भी अनुरोध किया है । उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि दूरसंचार (पोर्ट प्रभार) संशोधन विनियम 2007 द्वारा प्रधान विनियमों में यथा अंतःस्थापित विनियम 2क के संदर्भ में स्पष्टीकरण दिए जाएं । दो मामलों के साथ पोर्ट प्रभारों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण निम्नानुसार हैं :–

उदाहरणः यदि अन्वेषक 100 ई–1 के लिए आवेदन करता है औरः

मामला 1ः प्रदाता केवल 50 ई–1 उपलब्ध कराता है

मामला 2ः अन्वेषक 50 ई–1 लेता है यद्यपि प्रदाता सभी 100 ई–1 प्रदान के लिए तैयार है

दोनों ही मामलों में स्पष्टीकरण के लिए उठाए गए प्रश्न निम्नानुसार हैः

(i) भुगतान किए जाने वाला प्रभार क्या है ?

(ii) यह उस परिदृश्य से किस प्रकार भिन्न है जिसमें अन्वेषक 50 ई–1 के लिए आवेदन करता है और प्रदाता 50 ई–1 प्रदान करता है ?

(iii) यदि अन्वेषक चार तिमाहियों में फैली हुई पृथक–पृथक मांग देता है तो क्या तब भी उसे एक वित्तीय वर्ष में मांग की गई कुल ईएलएस के स्लैब का लाभ मिलेगा ?

30. उपर्युक्त उदाहरणों के बारे में विश्लेषण निम्नलिखित तालिका–क में वर्णित किया गया हैः–

तालिका–क

अंतरसंयोजन अन्वेषक छह माह के आधार पर परियात प्रक्षेपण (एर्लांग में) में आधारित 100 ई–1 के लिए मांग करता है			
क्रम सं.	विवरण	मामला– प्रदाता केवल 50 ई–1 प्रदान करता है	मामला– अन्वेषक केवल 50 ई–1 लेता है जबकि प्रदाता सभी 100 ई–1 प्रदान करने के लिए तैयार है
(क)	अंतरसंयोजन प्रदाता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है	50 ई–1	100 ई–1
(ख)	अन्वेषक लेता है	50 ई–1	50 ई–1
(ग)	लागू स्लैब	"पोर्टों की संख्या": 65 से 128 पीसीएम {विनियम (2क) के उप–विनियम (4) के अनुसार} रू. {14,48,000 + (एन–64)*11,500} एन=100 लेते हुए	"पोर्टों की संख्या": 32 से 64 पीसीएम {विनियम (2क) के उप–विनियम (5) के अनुसार} रू. {9,84,000 + (एन–32)* 14,500 एन=100 लेते हुए
(घ)	कुल पोर्ट प्रभारों के भुगतान के लिए अन्वेषक की देयता	100 ई–1 के लिए 18,62,000 रू0 (उपर्युक्त (ग) में दिए गए सूत्र का प्रयोग करते हुए)	50 ई–1 के लिए 12,45,000 रू0 (उपर्युक्त (ग) में दिए गए सूत्र का प्रयोग करते हुए)
(ङ)	अंतरसंयोजन प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला बीजक अथवा मांग टिप्पणी	50 ई–1 के लिए 12,45,000 रू. {=9,84,000 +(एन–32)*14,500} एन=50 लेते हुए	50 ई–1 के लिए 12,45,000 रू. {=9,84,000 +(एन–32)*14,500} एन=50 लेते हुए
(च)	शेष पोर्टों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला बीजक अथवा मांग टिप्पणी	शेष 50 पोर्टों के लिए संदेय राशि = (घ)–(ङ) 6,17,000 रू. {=18,62,000 रू. –12,45,000 रू.}	बाद की अवस्था में, यदि अन्वेषक 50 ई–1 के लिए कहता है, तो अन्वेषक को पुनः 12,45,000 रू. भुगतान करना होगा ।

(छ)	यह उस परिदृश्य से भिन्न केसे है कि अन्वेषक 50 ई–1 के लिए आवेदन करता है और प्रदाता 50 ई–1 प्रदान करता है ।	अन्वेषक को पोर्टों की संख्या 33 से 64 पीसीएम के स्लैब को ध्यान में रखते हुए 50 ई–1 के लिए प्रभारों का भुगतान अर्थात् 12,45,000 रू.करना होगा । इसके बाद, यदि अन्वेषक और 50 ई–1 के लिए अनुरोध करता है, तो उसे 12,45,000 रू.प्रदान करने होंगे तथा उच्चतर स्लैब का लाभ उपलब्ध नहीं होगा ।	कोई अंतर नहीं । (इस मामले में यह माना जाता है कि अन्वेषक को केवल 50 ई–1 की आवश्यकता है)

अलग–अलग समय में मांग के बारे में टिप्पणी :

यदि अन्वेषक छह माह के आधार पर ट्रैफिक प्रक्षेपण के अनुसार, पोर्टों की कुल संख्या के लिए दो तिमाहियों (छह माह) में फैली हुई अलग–अलग मांग एक साथ देता है, तो उसे इस प्रकार मांग किए गए कुल ई–1 के लिए लागू उच्चतर स्लैब काा लाभ मिलेगा । यदि अंतरसंयोजन प्रदाता किसी एक अवसर पर या ट्रैफिक प्रक्षेपण के आधर पर छह माह पर आधारित अलग–अलग की गई मांग को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं होता है, तब भी अंतरसंयोजन अन्वेषक को इस प्रकार

मांगे गए पोर्टों के लिए स्लैब का लाभ मिलेगा । तथापि, यदि अंतरसंयोजन अन्वेषक छह माह के भीतर अलग–अलग समय पर मांग करता है, तो उच्चतर स्लैब का लाभ लागू नहीं होगा ।

तालिका 1

स्विच/एक्सचेंज के विस्तार के लिए आवश्यक नेटवर्क अवयव

क्रम सं.	उपस्कर का नाम
पोर्ट टर्मिनल	
1.	एसएमटी बुनियादी उपस्कर
2.	एसएमटी प्रोसेसर
3.	16 एलआर इंटरफेस
4.	8 पीसीएम मोड्यूल–120 ओम्स
सीसीएस 7 सिगनलिंग	
1.	एसएमए बुनियादी उपस्कर
2.	सीसीएस 7 कप्लर
प्रोसेसर	
1.	एमएएस एक्सेस यूनिट
2.	मेमोरी बोर्ड
3.	एमएमसी बुनियादी उपस्कर
4.	प्रोसेसर यूनिट
स्विचिंग मैट्रिक्स	
1.	स्विचिंग मैट्रिक्स इंटरफेस
2.	एमएएस एक्सेस यूनिट
3.	एमसीएक्स मैट्रिक्स 1 ब्रांच
4.	एमसीएक्स हेल्पिंग 1 ब्रांच
5.	एमसीएक्स कपलिंग 1 ब्रांच
6.	एमसीएक्स मैट्रिक्स ओ/पी 1 ब्रांच
7.	डीसी/डीसी कन्वर्टर
यांत्रिक	
1.	यूई रैक
2.	यूसी रैक
3.	एक्सए रैक
4.	रैक क्लैडिंग
केबल, कनेक्टर	
1.	16 पियर एचएफ केबल (मीटर)
2.	एसएमटी 32 पीसीएम कन्वर्टर
3.	8 मोड्यूल्स के लिए स्लिम रैक
4.	8 पीसीएम के लिए डीडीएफ मोड्यूल्स
5.	इंटर स्यूट रनवे
6.	बेसिक कार्ड
7.	कॉड सेट – रैक
8.	कॉर्ड – सेट
9.	कॉड सेट एमसीएक्स

10.	128 पियर केबल
11.	पावर केबल्स
सॉफ्टवेयर	
1.	बेसिक प्लेटफार्म साफ्टवेयर
2.	आईएसयूपी–एन इंटरफेस साफ्टवेयर
बैटरी एवं पावर प्वाइंट	
1.	पावर प्वाइंट
2.	बैटरियां
3.	पावर:40 आउटपुट डिस्ट्रि. मोड्यूल
4.	पावर वितरण पैनल – 48 वी
5.	पावर वितरण पैनल – 220 वी
विविध	
1.	स्थापना सामग्री
2.	टूल्स एवं टेस्टर
3.	स्पेयर्स
4.	डीडीएफ टूल्स एमएसयू
4.	प्रलेखन